न्यायालय– माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

20 Rs COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

III/निग./सीधी/भू.रा./2017/2061

निगरानी प्रकरण कमांक––––– /2016–17

Rs.40/-

दिनेश प्रसाद मिश्र तनय स्व0 मोलई प्रसाद ब्रा0 उम्र 50 साल पेशा खेती निवासी ग्राम हिनौता तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 ––––– आवेदक /निगरानीकर्ता

अधि0 श्री राकेश तिवारी द्वारा पेश/29.6.17

बनाम,

1–गोविन्द प्रसाद तनय श्री सूर्यवलीराम ब्रा0 उम्र 75 साल पेशा खेती निवासी ग्राम हिनौता तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा हल्का पटवारी मझिगवां तहसील मझौली उप तहसील मड़वास जिला सीधी म0प्र0 –––––––––अनावेदकगण/ गैनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण कमांक–26/अ–74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 22.5.2017,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 32 अधीन आवेदन पत्र इस आशय का अनावेदक कमांक–1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदक कमांक–1 ने ग्राम हिनौता तहसील मझौली उप तहसील मड़वास जिला सीधी में स्थित म0प्र0शासन के स्वत्व की भूमि खसरा कमांक– 84,149,94,322,42,43,44,45,एवं 35 किता 9 रकवा लगभग 10.00 एकड़ पवाई उन्मूलन वर्ष 1974–75 के दौरान तहसीलदार उप तहसील मड़वास के न्यायालय से राजस्व प्रकरण कमांक–42/अ–6/1975–76 आदेश दिनांक 24.3.1977 के द्वारा उसके पक्ष में नामान्तरित हुई लेकिन उसकी इत्तलायावी खसरे में दर्ज न होने से उक्त भूमियां

दिनेशप्रसाद मिश्र

III/निग0/ सीधी/ भू.रा./ 2017/2061

11/8/17

यह निगरानी कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 26अ-74/14-15 में पारित आदेश दिनांक 22-5-17 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई।

2/ निगरानी मेमो के तथ्यों के क्रम में कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 22-5-17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार मड़वास द्वारा प्रकरण क्रमांक 683अ-74/05-06 में पारित आदेश दिनांक 11-6-06 के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वमेव निगरानी को इस आधार पर निरस्त कर दिया, क्योंकि तहसीलदार का आदेश अपील योग्य आदेश है। आवेदक के अभिभाषक ने भू राजस्व संहिता में हुये द्वित्तीय संशोधन क्रमांक 5 सन 2015 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि कलेक्टर को स्वमेव निगरानी में सुनवाई करना चाहिये थी। इस सॅशोधन अनुसार धारा 50 एक की उपधारा (1) अनुसार स्वप्रेरणा से निगरानी वावत् व्यवस्था दी गई है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें कोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगा। जब तहसीलदार का आदेश अपील योग्य है कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 22-5-17 में अपील के डायरेक्शन संबंधी दिये गये दिशा निर्देश नियमानुसार है। निगरानी प्रचलन-योग्य न होने सेइसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य